298

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-2635-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला-जबलपुर

काशीबाई भूमियां पति मुन्नालाल
निवासी ग्राम लमतरा चाका कटनी
जिला कटनी म0प्र0

-- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर
(म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा ग्राम लमतरा प.ह.नं. 40 नं. बं. 21 रा.नि.मं. मुड़वारा-2 तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 189 रकबा 0.850 एवं खसरा नं. 192 रकबा 0.39 हेक्टर उक्त भूमि अत्यंत बंजर एवं अनुपजाऊ है एवं एक दूसरे से दूर है जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है । इस कारण आवेदिका उक्त भूमि को विक्रय कर ग्राम मदनपुरा जिला कटनी में 5 से 6 एकड़ सिंचित भूमि खरीदना चाहती है । अतः उसे उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति दी जाये ।

3. यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण पंजीबंद कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्य से जांच प्रतिवेदन चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार, कटनी को जांच कर कार्यवाही हेतु भेजा जिस पर से तहसीलदार द्वारा जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया जिसमें बताया गया कि आवेदित भूमि पैकि भूमि है, जिस पर वह ठेके से खेती कराती है । आवेदिका की एक पुत्री है जिसकी शादी हो गई है उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात आवेदिका को जो राशि प्राप्त होगी उससे आवेदिका द्वारा मदनपुरा में 5.5 एकड़ी भूमि सिंचित

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2635–एक/16 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-1-17	यह निगरानी कलेक्टर, कटनी के प्रकरण कमांक 18/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का सारॉश संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वामित्व की गाम लमतरा प.ह.नं. 40 नं. बं. 21 रा.नि.मं. मुड़वारा–2 तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 189 रकबा 0.850 एवं खसरा नं. 192 रकबा 0.39 हेक्टर के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ने उक्त आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । तहसीलदार ने जांच कर एवं उभयपक्षों के कथन लेकर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय का आवेदन निरस्त किया । जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क श्रवण किये गये । उनके द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की	

R. 2635-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर

अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को आवेदक के हित में बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ आवेदिका एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदिका द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम लमतरा प.ह.नं. 40 नं. बं. 21 रा.नि.मं. मुड़वारा-2 तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 189 रकबा 0.[illegible]50 एवं खसरा नं. 192 रकबा 0.390 हेक्टर को गैर आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक के पास उक्त वर्णित भूमि विक्रय के पश्चात शेष भूमि नहीं बचती है अर्थात आवेदक भूमिहीन हो जायेगा । आदेश में यह भी आधार लिया गया है कि आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि से ग्राम मदनपुरा स्थित भूमि क्रय करने का लेख किया है किंतु किससे और किस खसरा नंबर की

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2635–एक/16 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि कय की जाना है इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं उक्त कारणों से उन्होंने आवेदक का हित प्रभावित होना मानते हुए आवेदक का भूमि विकय का आवेदन खारिज किया गया है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान और उचित और विधिसम्मत है । परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रकरण के तथ्यों को न्यायिक दृष्टि से नहीं देखा है क्योंकि आवेदक के पास जो भूमि है वह पहले से ही संहिता में दिए गए प्रावधानों से बहुत कम है ऐसी स्थिति में संहिता में बताए अनुसार भूमि बचना संभव ही नहीं है । कलेक्टर द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि जब तक उसे विकय की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वह कैसे भूमि कय करेगा । यदि जिलाध्यक्ष को आवेदक द्वारा भूमि कय किये जाने के संबंध में कोई शंका थी तो वे कय–विकय किए जाने की शर्त अपने आदेश में डाल सकते थे किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान यह स्वीकार किया गया है वह आवेदित भूमि को विकय कर लगभग 5 एकड़ भूमि कय करेगा इससे आवेदक के पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उसके पास पूर्व से धारित भूमि से अधिक भूमि हो जायेगी । अतः प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–16–16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामतः कलेक्टर, कटनी का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आवेदिका को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम लमतरा प.ह.नं. 40 नं. बं. 21 रा.नि.मं. मुड़वारा–2 तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 189 रकबा 0.850 एवं खसरा नं. 192 रकबा 0.390 हेक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1– प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2– क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3– आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय एवं क्रय की जाने वाली भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन एक ही दिन एक साथ किया जायेगा ।

4– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर